एम.ए.सी.पी. संख्या ४२१/२०१८
१. श्रीमती रेखा पत्नी स्व. श्री तुकभान आयु लगभग ३२ वर्ष
२. कु. खुशबू नाबालिग पुत्री स्व. श्री तुकभान आयु लगभग १५ वर्ष
३. गोलू नाबालिग पुत्र स्व. श्री तुकभान आयु लगभग ९ वर्ष
४. मेहकान नाबालिग पुत्री स्व. श्री तुकभान आयु लगभग ६ वर्ष
समस्त निवासियान ग्राम बरौदा स्वामी थाना जखौरा तहसील ललितपुर जिला ललितपुर, उ.प्र. याची सं. २ लगायत ४ नाबालिग जरिये संरक्षिका व कुदरती माँ श्रीमती रेखा

----------याचीगण

प्रति

१. अक्षय कुमार टडैया तनय कैलाश चन्द्र निवासी ४१७/२ सिविल लाईन कचहरी रोड ललितपुर
.... रजिस्टर्ड मालिक वाहन सं. यू.पी. ९४ ई २२५०
२. राम लाल तनय हलके रायकवार निवासी मकान नं. ३१५ आजादपुरा ललितपुर, यू.पी.
.........चालक वाहन सं. यू.पी. ९४ ई २२५०
३. न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए मण्डलीय प्रबन्धक न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. कचहरी चौराहा झाँसी
.... बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी. ९४ ई २२५०

--------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री अजय कुमार मिश्रा
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- सुश्री रजनी जैन
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री अफजल अहमद

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २१बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २१बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ८,१०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ८,१०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ८,१०,००० (आठ लाख दस हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजेक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याचीगण सं. १ लगायत ४ मृतक के क्रमशः पत्नी, पुत्री, पुत्र व पुत्री हैं तथा याची सं. २ लगायत ४ कु. खुशबू, गोलू व मेहकान वर्तमान में अवयस्क हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २, ३ व ४ क्रमशः ४०, २०, २०, २० प्रतिशत भाग धनराशि प्राप्त करेंगे। याची सं. २ लगायत ४ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि जरिए संरक्षिका माँ श्रीमती रेखा उनके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में जमा किये जायेंगे। याचिया सं. १ श्रीमती रेखा को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर धनराशि में से ५० प्रतिशत भाग वह आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेगी तथा शेष ५० प्रतिशत धनराशि की एन्युटी ५ वर्ष के लिए बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.04 15:22:59 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi